नरेश कुमार, भा.प्र.से.
NARESH KUMAR, I.A.S

मुख्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
Chief Secretary
Government of NCT of Delhi

सत्यमेव जयते

फा.सं. 65(01)/2014-15/रा.भा.अ./2649

दिनांक :- [illegible]

संदेश

"हिन्दी दिवस"

14 सितम्बर, 2022

हिन्दी दिवस पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान सभा द्वारा 14.9.1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाते है।

एक राष्ट्र के रूप में भारत बड़ी संख्या में भाषाओं और बोलियों में समृद्ध है तथा अपनी पंहुच, सादगी और स्वीकार्यता के चलते हिन्दी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। क्षेत्र, धर्म और संस्कृति की बाधाओं को पार करके इसने भारत संघ की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। अभिव्यक्ति और संचार के माध्यमों में इसकी सहज स्वीकार्यता के कारण सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने हिन्दी के और अधिक विकास को संभव बना दिया है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग हेतु बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें अपने कार्यालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अब कम्प्यूटरों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरूप हिन्दी में कार्य करना पहले से और अधिक सरल हो गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकारी कामकाज हिन्दी में किए जाने की दिशा में प्रगति हो रही है, परंतु यह प्रगति यथेष्ट नहीं है। अतः हमे इसे और आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयास करने होंगे ।

दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2022 के महत्वपूर्ण अवसर को अपने स्तर पर अधिकाधिक उत्साहपूर्वक मनाते हुए हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़े का आयोजन करना चाहिए।

मेरा समस्त विभागाध्यक्षों से भी यह अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का प्रयोग किए जाने के लिए प्रेरित करें। आइये हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर–राजभाषा तथा भारत की जनभाषा, दोनो रूपों में हिन्दी के विकास के प्रति हम अपने आपको समर्पित करें। सभी अधिकारियो /कर्मचारियों को यह निश्चय करना चाहिए कि अपने दैनिक सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

नरेश कुमार

(नरेश कुमार)
मुख्य सचिव, दिल्ली

दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002, फोन : 011-23392100, 011-23392101, फैक्स : 011-23392102
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002, Tel. : 011-23392100, 011-23392101 Fax : 011-23392102
E-mail : csdelhi@nic.in

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश : दिल्ली ।

संख्या 34780 - 960 हिन्दी/238/2022 दिल्ली,दिनांक 15 SEP 2022

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार आगामी "हिन्दी दिवस 2022" के पावन अवसर पर मुख्य सचिव,राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली सरकार के संदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती हैः-

1 माननीय विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्यालय तीस हजारी न्यायालय दिल्ली, नई दिल्ली,पूर्व ,उत्तर –पूर्व ,शाहदरा, ,उत्तर,उत्तर–पश्चिम , दक्षिण–पश्चिम,दक्षिण,दक्षिण-पूर्व, राउज एवेन्यू इस अनुरोध सहित कि इस संदेश को संबधित न्यायिक जिले में पारिचालित करवाएं।

2 निजी सचिव, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश(मुख्यालय) दिल्ली।

3 समस्त न्यायिक अधिकारी , केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।

4 सुश्री शैल जैन प्रधान न्यायाधीश, दिल्ली /अध्यक्ष,केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री संजीव जैन, प्रधान न्यायाधीश ,परिवार न्यायालय, कड़कड़डूमा दिल्ली/सह–सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति , श्री मुकेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,तीस हजारी न्यायालय दिल्ली/ सदस्य केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, दिल्ली। श्री हेमराज, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीस हजारी दिल्ली /सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति।

5 समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला,तीस हजारी न्यायालय,दिल्ली।

6 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिंदी अनुभाग नई दिल्ली,पूर्व ,उत्तर –पूर्व ,शाहदरा, उत्तर ,उत्तर–पश्चिम , दक्षिण–पश्चिम,दक्षिण,दक्षिण-पूर्व, राउज एवेन्यू, ।

7 उप–सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,दिल्ली सरकार।

8 वेबसाइट समिति लेयर्स पर अपलोड करने हेतु ।

नोटः कृपया, अपने अधीन समस्त कर्मचारियों को उक्त संदेश से अवगत करवाएं।

शैल जैन

(शैल जैन)
विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
अध्यक्षा ,केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
तीस हजारी न्यायालय,दिल्ली